ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय , वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

(Phone No. 07152 - 232943, Fax No. 07152 - 230903) (Website :www.hindivishwa.org)

निविदा

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पत्रिकाओं के मुद्रण हेतु अनुभवी एवं पंजीकृत मुद्रकों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

'पुस्तक-वार्ता' (द्वैमासिक पत्रिका) :-

1. मुद्रण संख्या : 500
2. साईज : 23x36/8
3. कुल पृष्ठ : 64 लगभग
4. आंतरिक पृष्ठ : श्वेत-श्याम, पेपर- 70 जीएसएम मैपलिथो नेचुरल कलर
5. मुख्य पृष्ठ : बहुरंगी, पेपर- 120 जीएसएम सुपरसनसाइन मैपलिथो
6. बाईडिंग : सेंटर पिन बाईडिंग

बहुवचन (त्रैमासिक पत्रिका) :-

1. मुद्रण संख्या : 1000
2. साईज : 20x26/8
3. कुल पृष्ठ : 180 लगभग
4. आंतरिक पृष्ठ : श्वेत-श्याम, पेपर- 80 जीएसएम मैपलिथो नेचुरल कलर
5. मुख्य पृष्ठ : बहुरंगी, पेपर- 300 जीएसएम आर्ट कार्ड
6. बाईडिंग : सिलाई सहित परफेक्ट बाईडिंग
7. लेमिनेशन : मैट

निविदा मूल्य : रु. 500 (पांच सौ रुपये मात्र) (D.D. in favor of The Finance Officer, M.G.A.H.V., Wardha)

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 17 सितंबर, 2019 सांय 3:00 बजे तक

नियम एवं शर्तें :-

1. कार्य-विधि : मुद्रण कार्य के लिए तैयार सामग्री की सी.डी. ईमेल द्वारा भेजे जाने की तिथि के पश्चात् 15 दिनों में कार्य संपन्न करना आवश्यक एवं बाध्यतापूर्ण है। ऐसा न होने की स्थिति में रु. 500 प्रति दिन के हिसाब से बिल से काट लिया जाएगा।
2. टैक्स- सभी प्रकार के टैक्स का निविदा में उल्लेख होना अनिवार्य है।
3. जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।
4. प्रेस पंजीकरण अनिवार्य। प्रिंटिंग प्रेस औद्योगिक परिसर में होना आवश्यक है।
5. पत्रिकाओं का वितरण कार्य मुद्रक द्वारा किया जायेगा। डाक खर्च का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। वितरण के पश्चात् बची हुई पत्रिकाएं 'प्रकाशन विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा' को एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित पत्रिका की सी.डी. के साथ भेजना होगा। कागज के प्रारूप के साथ मुहरबंद निविदा कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, के पास दिनांक 17 सितंबर, 2019 तक पहुंच जानी चाहिए। इसके पश्चात् निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। लिफाफे के ऊपर 'पत्रिकाओं के लिए निविदा' लिखा होना अनिवार्य है। निविदा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। निविदा में पत्रिकाओं की आवश्यकतानुसार प्रत्येक विंदु का उल्लेख होना अनिवार्य है; अधूरी निविदाओं को निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।

दिनांक : 03 सितंबर, 2019

कुलसचिव